# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की आठवी बैठक दिनांक 20.08.2024 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:30 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पद |
|---|---|---|
| 01 | प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा कुलपति | अध्यक्ष |
| 02 | श्री, ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी | सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा |
| 03 | श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव | सदस्य |
| 04. | प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ (आनलाइन उपस्थिति ) | कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य |
| 05 | श्री जग नारायण झा, वित्त अधिकारी | सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव |

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

**मद सं0 1**–वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 24.06.2024 में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण–

**निर्णयः** पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निणर्यो की निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

संशोधनः मद संख्या 2 के अन्तर्गत पारित बजट में क्रम संख्या–105 अन्य विविध व्यय प्राविधान में प्रयोगशालाओं पर होने वाले खर्च/व्यय के दृष्टिगत पुस्तकालय क्रम संख्या 120–पुस्तकें/सन्दर्भ ग्रन्थ (केन्द्रीय पुस्तकालय) ई–लाइब्रेरी/फर्नीचर एवं उपस्कर से 2.00 करोड़ की धनराशि को स्थानान्तरण कर जोड़ा गया। फलस्वरूप अब पुस्तकालय क्रम संख्या–120 में 8.00 करोड़ के स्थान पर 6.00 करोड़ तथा अन्य विविध व्यय क्रम संख्या–105 में 14.50 करोड़ के स्थान पर 16.50 करोड़ की धनराशि का प्राविधान रहेगा।

**मद सं0 2**–विश्वविद्यालय में सत्र 2024–25 से प्रारम्भ होने वाले 09 नये पाठ्यक्रमों यथा एम0एस–सी0 रसायन विज्ञान, एम0एस–सी0 (कृषि) खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी, एम0एस–सी0 (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र, एम0बी0ए0 एग्री–बिजनेस मैनेजमेंट, एम0एड0 अध्यापक शिक्षा, एम0ए0/मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (एम0वी0ए0) इन पेंटिग, एम0बी0ए0 हास्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एम0एस–सी0 भौतिक विज्ञान, एम0एस–सी0 वनस्पति विज्ञान, एम0एस–सी0 जन्तु विज्ञान के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2024–25 से प्रारम्भ होने वाले उपरोक्त 09 नये पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 03/08/2024

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

को शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया गया, उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत शुल्क संरचना 17/08/2024 के आलोक में शुल्क निर्धारण पर विचार।

**निर्णयः** गठित समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि

1. एम0बी0ए0 हास्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में समिति द्वारा प्रस्तावित शिक्षण शुल्क रू0 11835 के स्थान पर रू0 11000 रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा शेष शुल्क यथावत स्वीकार/अनुमोदित किया गया।

2. शेष अन्य पाठयक्रमों के शुल्क को गठित समिति की संस्तुति के अनुसार यथावत अंगीकृत कर अनुमोदित किया गया।

3. विश्वविद्यालय के समस्त कोर्स में गाडी स्टैंड/वाहन पार्किंग किराया निम्नवत अनुमोदित किया गया

| | |
|---|---|
| क. साइकिल | रू0 200 वार्षिक यथावत। |
| ख. मोटर साइकिल/स्कूटर | रू0 1200 वार्षिक |
| ग. कार | रू0 3500 वार्षिक |

4. फीस वापसी के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्र जो प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहते है को प्रतिदेय/वापसी योग्य फीस (यथा प्राभूत शुल्क) की पूर्ण धनराशि एवं शेष फीस की 25% धनराशि काटकर देय होगा।

5. आरक्षित श्रेणी के विधार्थी के प्रवेश के सम्बन्ध में शुल्क लेने के लिए संगत शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

**मद सं. 3–** विभिन्न समितियों (माननीय कुलाधिपति/शासन/कुलपति द्वारा नामित कार्य परिषद सदस्य, नीतिगत/गंभीर प्रकरणों की जॉच हेतु जॉच समिति, विद्यापरिषद, वित्त समिति, परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, अध्ययन परिषद, आर0डी0सी0, डी0आर0सी0, अनुशासन/छात्र समस्या निवारण/लोकपाल समिति व अन्य समितियों) की बैठक में वाह्य सदस्यों के मानदेय, यात्रा भत्ता तथा स्थानीय सदस्यों को स्थानीय मार्ग व्यय के निर्धारण पर विचार।

सूच्य है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों में निम्न प्रकार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

1. महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की वित्त समिति दिनांक 23/02/2023 में कार्य परिषद्, वित्त समिति, विद्यापरिषद, एवं परीक्षा समिति के वाहय सदस्यों को न्यूनतम 2500.00 प्रति बैठक स्थानीय मार्ग–व्यय प्रदान किये जाने हेतु सहमति प्रदान

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

की। साथ ही चयन समितियों में विषय विशेषज्ञों तथा स्थानीय अधिवक्ताओं को 5000 प्रति बैठक सीटिगं चार्ज जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

2. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति दिनांक 20.2.2021 में पारित कार्य परिषद, चयन समिति, एवं अन्य विशिष्ट समितियों के माननीय वाह्य सदस्यों हेतु 5000/– प्रतिदिन की दर सें एवं विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक एवं यू0जी0सी0/रूसा द्वारा अनुमन्य योजनाओं की बैठक में आमत्रिंत वाहय सदस्यों को यात्रा भत्ता के अतिरिक्त मानदेय हेतु 2000.00 प्रतिदिन की दर सें दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

3. वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में वित्त समिति दिनांक 18.3.2023 में कार्य परिषद, वित्त समिति, अध्ययन परिषद, अनुशासन समिति तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर शिक्षकों के चयन हेतु साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले वाहय विषय विशेषज्ञों को रू0 5000 मानदेय/सीटिंग चार्ज दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** विभिन्न समितियों में प्रतिभाग करने वाले वाह्य सदस्यों को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गयाः

1. कार्य परिषद में शासन/मा0 कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्यों को रू0 4000 सीटिंग चार्ज
2. चयन समिति में मा0 कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्यों को रू0 5000 सीटिंग चार्ज प्रतिदिन
3. विश्वविद्यालय परिसर की अन्य चयन समितियों (यथा अतिथि शिक्षकों आदि हेतु) में मा0 कुलपति जी द्वारा नामित वाह्य विशेषज्ञों को रू0 4000.00 सीटिंग चार्ज प्रतिदिन
4. अन्य समितियों में वाह्य सदस्यों को रू0 3500 सीटिंग चार्ज देय होगा।
5. विभिन्न समिति के वाह्य सदस्यों को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस से बाहर रहने पर होटल चार्ज देय होगा।

**मद सं. 4–** अतिथि प्रवक्ताओं तथा विशिष्ट व्याख्यान/आमन्त्रित व्याख्यान हेतु मानदेय निर्धारण करने के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि यू0जी0सी0 के पत्रांक F.25-1/2018(PS/MISC.) Dated 28 January, 2019 "the Commission in its 537th meeting held on 10th December, 2018 considered the issue of enhancement of rates of Honorarium of Guest Faculty in universities and colleges consequent upon the implementation of the recommendation of the 7th pay commission and resolved as follows.

1- The Honorarium for Guest Faculty be enhanced to Rs. 1500/- per lecture subject to a maximum of Rs. 50,000/- per month."। (संलग्न पृष्ठ संख्या)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त को लागू करने हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्देश दिये गये है। उक्त का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत्रों से किया जाएगा।
अद्यतन विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर 500/प्रति व्याख्यान की दर से तथा अधिकतम 25000 प्रतिमाह, एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर 600/प्रति व्याख्यान की दर से तथा अधिकतम 30000 प्रतिमाह एवं प्रोफेसर स्तर पर 700/प्रति व्याख्यान की दर से तथा अधिकतम 35000 प्रतिमाह देय है।

साथ ही यह भी सूच्य है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों में निम्न प्रकार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

1. महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की वित्त समिति दिनांक 23/02/2018 मे अतिथि शिक्षकों को 800 प्रति व्याख्यान अधिकतम 16000 प्रतिमाह अध्यापन मानदेय प्रदान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

2. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की Consultants Advisor के व्याख्यानों के दरों के निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 20/02/2021 मे विशिष्ट व्याख्यान के आंमत्रित वाह्य विशेषज्ञ 1000.00/– प्रति व्याख्यान की दर सें किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** व्याख्यान/शिक्षण हेतु सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत मानदेय निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः

1. **शिक्षण हेतु अतिथि वक्ताओं कोः**
   - क) सहायक आचार्य रू0 1000 प्रति व्याख्यान/प्रति घण्टा, प्रयोगात्मक कक्षा में 700 प्रति घंटा तथा अधिकतम 40000.00 प्रतिमाह
   - ख) सह आचार्य रू0 1200 प्रति व्याख्यान/प्रति घण्टा, प्रयोगात्मक कक्षा में 800 प्रति घण्टा, अधिकतम 45000.00 प्रतिमाह
   - ग) आचार्य रू0 1500 प्रति व्याख्यान/प्रति घण्टा, प्रयोगात्मक कक्षा में 900 प्रति घण्टा, अधिकतम 50000.00 प्रतिमाह

2. आमंत्रित व्याख्यान हेतु वाह्य विशेषज्ञ — रू0 4000.00

3. सम्मेलन में मुख्यवक्ता को — रू0 5000.00

4. अति विशिष्टवक्ता को मा0 कुलपति जी सहमति सें रू0 7500.00 देय

**मद सं. 5–** विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न शिक्षक अधिकारियों यथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता, कुलानुशासक, चीफ वार्डन, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता, सहायक कुलानुशासक, सहायक चीफ वार्डन एवं सुरक्षा अधिकारी के मानदेय का निर्धारण पर विचार।

सूच्य है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों में निम्न प्रकार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति दिनांक 19/05/2011 में अधिष्ठाता छात्र कल्याण 800+500 टेलीफोन, नियन्ता 800.00+टेलीफोन, छात्रावास अधीक्षक 300+100 टेलीफोन, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण 400, सहायक नियन्ता 400.00, अभिरक्षक 500+ 200 टेलीफोन में आदेश पारित है।

2. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में वित्त समिति दिनांक 28.3.2022 में निम्नानुसार

| | |
|---|---|
| क. चीफ वार्डन/प्राक्टर | 3000.00 प्रतिमाह (कन्वेंस भत्ता) |
| ख. वार्डन/सहायक प्राक्टर | 2500.00 प्रतिमाह (कन्वेंस भत्ता) |
| ग. कार्यालय सहायक | 2000.00 प्रतिमाह |

(पारिश्रमिक/मानदेय) निर्धारित है,

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय**: सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि

1. छात्र कल्याण अधिष्ठाता/प्राक्टर/चीफ वार्डन रू0 2000 कन्वेंस चार्ज एक मुश्त
2. वार्डन रू0 1500 कन्वेंस चार्ज एक मुश्त
3. सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक प्राक्टर/सहायक वार्डन रू0 1000 कन्वेंस चार्ज एक मुश्त

एवं मोबाइल फोन सी0यू0जी0 सिम के साथ दिया जाएगा, जिसका रिर्चाज विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता/प्राक्टर/चीफ वार्डन को कार्यालय व्यय (जलपान सम्मिलित) हेतु अधिकतम रू0 5000 प्रतिमाह तथा वार्डन कार्यालय हेतु अधिकतम रू 4000.00 प्रतिमाह कार्यालय व्यय (जलपान सम्मिलित) अनुमन्य होगा ।

**मद सं. 6–** पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा तथा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, प्रश्नों/उत्तरों के संदर्भ सहित एक भाषा या दो भाषा में प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु प्रश्नपत्र निर्माता विशेषज्ञ का मानदेय निर्धारित करने पर विचार।

सूच्य है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों में निम्न प्रकार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति दिनांक 19/05/2011 में पारित आदेश प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न प्रकार है।

| | |
|---|---|
| क. प्रश्न निर्माता (**Item Writer**) | रू0 40 प्रति प्रश्न |
| ख. पुननिरीक्षक (**Reviewer**) | रू0 15 प्रति प्रश्न |
| ग. अनुसीमनकर्ता (**Moderator**) | क. 600 प्रति सेट 50 प्रश्न |
| | ख. 1200 प्रति सेट 100 प्रश्न |
| | ग. 1800 प्रति सेट 150 प्रश्न |

Scanned with OKEN Scanner

2. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में वित्त समिति दिनांक 04.08.2015 में पारित आदेश, एक भाषा (Single Language) में प्रश्न पत्र निर्माण हेतु रू0 50 प्रति प्रश्न तथा द्विभाषीय के लिए रू0 75 प्रति प्रश्न निर्धारित है।

3. महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की वित्त समिति दिनांक 18/03/2017 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नपत्र तैयार करने का पारिश्रमिक रू 50 प्रति प्रश्न तथा अधिकतम रू 5000.00 प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की थी।

सूच्य है कि अपने विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 में एक भाषा (Single Language) में प्रश्न पत्र निर्माण हेतु रू0 50 प्रति प्रश्न तथा द्विभाषा के लिए रू0 75 प्रति प्रश्न दिया गया है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि

1. पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा/एम0सी0क्यू0

| | | |
|---|---|---|
| क) प्रश्न निर्माता (Item Writer) | एक भाषीय | रू0 100 प्रति प्रश्न |
| | द्विभाषीय | रू0 125 प्रति प्रश्न |
| ख) अनुसीमनकर्ता (Moderator) | रू0 1000 प्रति सेट | 50 प्रश्न |
| | रू0 2000 प्रति सेट | 100 प्रश्न |

100 से अधिक प्रश्न होने पर अनुसीमनकर्ता ( Moderator) की पारिश्रमिक धनराशि अनुपातिक रूप से बढेगी ।

2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु होने वाली लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र निमार्ण हेतु प्रश्नपत्र निर्माता को प्रति प्रश्न मानदेय निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित पारिश्रमिक दरों को यथावत/निम्नवत स्वीकार कर लिया गया।

क) प्रश्न रचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो माध्यमों में उत्तर कुंजी के साथ) रू0 200/प्रति प्रश्न

ख) प्रश्न रचना (भाषा विषयों यथा– हिन्दी एवं अंग्रेजी एवं संस्कृत में उत्तर कुंजी के साथ) रू0 150/प्रति प्रश्न

ग) डाक व्यय एवं फोटोकॉपी आदि के लिए रू0 300 (एक मुश्त)

नोटः– प्रश्न पत्र निमार्ण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

**मद सं 7–** मूल्यांकन कार्य में लगे नियंत्रण स्टाफ़ (समन्वयक, सह समन्वयक) एवं अन्य स्टाफ़ (तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य योजना निर्माण समिति द्वारा प्रस्तावित मानदेय के आलोक में मानदेय निर्धारण करने पर विचार।

सूच्य है कि मूल्यांकन कार्य योजना नियमावली तैयार करने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसकी आख्या विद्वत परिषद की बैठक 25 जुलाई 2024 में प्रस्तुत की गई थी। विद्वत परिषद द्वारा मानदेय निर्धारण पर विचार करने हेतु प्रकरण को वित् समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। जो निम्न प्रकार है

1. **मूल्याकंन समन्वयक–** (रू0 40,000/+ दैनिक भत्ता) प्रति मूंल्याकन कार्य (30 मूल्याकंन कार्य दिवसों के लिए) तत्पश्चात (700/+ दैनिक भत्ता) प्रतिदिन की दर से (कुल कार्य दिवस–30) दिनों के लिए अतिरिक्त भुगतान
2. **मूल्याकंन सहसमन्वयक–** (रू0 30,000/+ दैनिक भत्ता) प्रति मूंल्याकन कार्य (30 मूल्याकंन कार्य दिवसों के लिए) तत्पश्चात (500/+ दैनिक भत्ता) प्रतिदिन की दर से (कुल कार्य दिवस–30) दिनों के लिए अतिरिक्त भुगतान
3. **विषय संयोजक/मुख्य परीक्षक–** सम्बधित विषय में अधिकतम उत्तर पुस्तिका मूल्याकिंत करने वाले परीक्षक के बराबर पारिश्रमिक+ दैनिक भत्ता
4. **तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–** जैसा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में निर्धारित है।
5. **दैनिक भत्ता–**
   **क.** स्थायी शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन के न्यूनतम 100 उत्तर पुस्तिकाओं के लिए उनके पदानुसार शासन द्वारा निर्धारित दर (असि0 प्रोफेसर 540/, एसो0 प्रोफेसर एवं प्रोफेसर–600/)।
   **ख.** स्ववित्तपोषित शिक्षक के लिए प्रतिदिन के न्यूंतम 100 उत्तर पुस्तिकाओं के लिए 540/(निश्चित) ।
6. **स्थायी दैनिक भत्ता–** न्यूनतम स्थानीय दैनिक भत्ता (मुख्यालय से 15 किमी0 की परिधि में) रू0 500 प्रतिदिन की दर सें।

यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 27.03.2023 के अनुसार लागू मानदेय दर निम्न प्रकार है।

| | | |
|---|---|---|
| समन्वयक | प्रतिदिन 700 | अधिकतम 40000 |
| उपसमन्वयक | प्रतिदिन 500 | अधिकतम 30000 |
| तृतीय श्रेणी कर्मचारी | प्रतिदिन 350 | अधिकतम 20000 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | प्रतिदिन 250 | अधिकतम 15000 |

<u>डी0ए0–</u>

| मूल वेतन | डी0ए0/प्रतिदिन |
|---|---|
| लेवल 13 एवं उच्च | 600.00 |
| लेवल 9 से 12 | 540.00 |
| लेवल 7 से 8 | 480.00 |
| लेवल 5 से 6 | 390.00 |

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

लेवल 5 से कम 240.00

स्ववित्तपोषित शिक्षक (बिना लेबल) रू0 240.00। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** सम्यक विचारोंपरान्त समिति ने एक विस्तृत रिर्पोट हेतु एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया जो समस्त बिन्दुओं यथा कापी संख्या, सेंटर संख्या, अधिकारीयों/कर्मचारियों की संख्या सहित अपने आस–पास के विश्वविद्यालयों में प्रचलित पारिश्रमिक के सम्बन्ध में विस्तृत तुलनात्मक रिर्पोट तैयार कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/आख्या प्रस्तुत करेगी।

**मद सं. 8–** विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय में तात्कालिक व्यवस्था हेतु महाविद्यालय स्तर से सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, उप/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो उसको नियत मानदेय पर अथवा सम्बद्व अनुदानित महाविद्यालय के किसी वरिष्ठ शिक्षक/प्राचार्य को पुस्तकालय समन्वयक/प्रभारी के रूप में नियोजित किए जाने के संबंध में विचार ।

सूच्य है कि शासनादेश 57/2023/1259/सत्तर–4–2023–70–4099/19/2023 दिनांक 30 जून 2023 के द्वारा विश्वविद्यालय हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष एक पद एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद सृजित हैं। परंतु उक्त पदों पर वेतनमान में विसंगति है। फलस्वरूप पदों पर भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया भी अद्यतन बाधित है। इस सम्बंध में शासन को UGC मानक एवं राज्य विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक 2256/कु0का0/2023 दिनांक 04/10/2023 एवं अनुस्मारक–1 पत्रांक 763/कु0का0/2023 दिनांक 08/01/2024 के माध्यम से वेतनमान संशोधित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। परन्तु शासन स्तर से इस सम्बंध में कोई सूचना अद्यतन अप्राप्त है। यह भी सूच्य हैं कि सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय के अपने नवनिर्मित परिसर में 26 पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, जिनमें से 17 पाठ्यक्रम पिछले सत्र में ही प्रारंभ हो गए थे। अतः नवस्थापित विश्वविद्यालय हित/छात्र हित में पुस्तकालय कार्यों हेतु शीघ्र सेवानिवृत्त/अनुभवयुक्त/योग्यताधारी व्यक्ति की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया

1. किसी अनुदानित सम्बद्व महाविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनुभव के शिक्षक को पुस्तकालय समन्वयक (पुस्तकालय शिक्षक प्रभारी) के रूप में नियुक्त कर रू0 5000.00 प्रतिमाह + दैनिक स्थानीय यात्रा भत्ता।

**अथवा**

2. जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग से (सेवानिवृत पुस्तकालायध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) पुस्तकालय समन्वयक को क्रमशः रू0 1500.00, 1200.00 व 1000.00 प्रतिदिन की दर से क्रमशः रू0 45000.00, 36000.00 व 30000.00 प्रति माह वेतन देय होगा। अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से एम0 लिब0

Scanned with OKEN Scanner

योग्यताधारी तथा किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पुस्ताकालय का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह नीयत वेतन रू0 30000.00 देय होगा।

**मद सं. 9–** वित् समिति की बैठक दिनांक 25/8/2023 में पुस्तकालय पुस्तक क्रय समिति दिनांक 22/8/2023 द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया था कि पुस्तक परिसर के संबंधित विभाग की विभागीय समिति/ विभागाध्यक्ष अथवा परिसर शिक्षक एवं संकायाध्यक्ष द्वारा संस्तुति के आधार पर क्रय की जाएँगीं। क्योंकि नवस्थापित विश्वविद्यालय में अद्यतन कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है, इसलिए पुस्तकों का क्रय संबद्ध महाविद्यालय के विषय संयोजक/स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षक की संस्तुति/संकायाध्यक्ष की संस्तुति/पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा संस्तुत की गई पुस्तकों की सूची के आधार पर किया जाना समीचीन होगा। साथ ही राज्यपाल सचिवालय के पत्र सं.ई– 6085/32–जी.एस./2024, दिनांक 12/08/2024 के अनुपालन में "भारत–पाकिस्तान विभाजन विभीषिका" से जुडी पुस्तकें तथा अन्य सामान्य एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें पुस्तकालय प्रभारी/समन्वयक /मा0 कुलपति जी की संस्तुति के आधार पर क्रय किया जाना समीचीन होगा। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः** सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव/मद को यथावत अनुमोदित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय ज्ञान परम्परा एवं संस्कृति की पुस्तके भी क्रय की जाय और पुस्तकों/जरनल्स का क्रय पुस्तकालय हेतु निर्धारित नियमावली/दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाए। क्रय की गई पुस्तकों का सत्यापन पुस्तकालय शिक्षक प्रभारी/समन्वयक तथा उपकुलसचिव द्वारा करके वित्त अधिकारी के माध्यम से बिल भुगतान हेतु मा0 कुलपति जी को प्रस्तुत किए जायं।

**अन्य मदः** समिति द्वारा कुशल एवं अकुशल कर्मचारियो के वेतन निर्धारण हेतु गठित छः सदस्यीय समिति (पत्रांक 4073/कु0का0/2024, दिनांक 02/08/2024) की आख्या दिनांक 16/08/2024, कार्यालय नगर पंचायत माहुल, आजमगढ़ के पत्रांक 74/न0प0मा0/2024–25/जेमपोर्टल दिनांक 07/08/2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र सं0 8/2019/20/1/91–का–2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 एवं शासनादेश सं0 31/2020/273/18–2–2020–97(ल0उ0)/2016 टी,सी0 लखनऊ दिनांक 25 अगस्त 2020 व शासनादेश सं0 42/2020/ई–153/18–2– 2020 –97 (ल0उ0)/2016 टी.सी. लखनऊ दिनांक 07 दिसम्बर 2020 एवं विशेष सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग –1 के पत्र सं0 193/पाँच–1–2020–3(11) 2016 दिनांक 04 फरवरी 2020 व शासनादेश सं0 468/9–1–22–66 सा/2001 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल 2022 के शासनादेश एवं उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग–3 संख्या 194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/04/ दिनांक 28/01/2014 तथा शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में शासनादेश पत्रांक 77/2022/1170/सत्तर–4–2022–70–4099/15/ 2022 दिनांक 3/08/2022 एवं शासनदेश पत्रांक 57/2023/1259/सत्तर–4–2023–70–4099/19/2023 दिनांक 30/06/2023 के आलोक में समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत वेतन/मानदेय निर्धारण किया:

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में शासनादेश पत्रांक 77/2022/1170/सत्तर–4–2022–70–4099/15/ 2022 दिनांक 3/08/2022 एवं शासनदेश पत्रांक 57/2023/1259/सत्तर–4–2023–70–4099/19/2023 दिनांक 30/06/2023 के आलोक में समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत वेतन/मानदेय निर्धारण किया:

| क्रम0 संख्या | कर्मी श्रेणी | देय वेतन (नीयत/फिकस्ड) प्रतिमाह |
|---|---|---|
| 01. | कुशल श्रेणी –I (कम्प्यूटर आपरेटर/सहायक लेखाकार, पटल सहायक/क्लर्क | 21500.00 |
| 02. | कुशल श्रेणी – II (पटल सहायक/~~क्लर्क~~/वाहन चालक/इलेक्ट्रीशियन/पलम्बर/बढ़ई | 17610.00 |
| 03. | अर्द्वकुशल (कुक) | 14160.00 |
| 04. | अकुशल (चपरासी, माली, स्वच्छकार) मल्टीटास्किंग स्टाफ | 12870.00 |

यह ध्यान रखा जाए कि उपरोक्तवत कुशल एवं अकुशल श्रेणी में कर्मियों की संख्या शासन द्वारा सृजित गैर शैक्षणिक पदों से अधिक न होने पाए। भविष्य में महँगाई के अनुसार मानदेय वृद्वि पर विचार किया जा सकता है।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner